Gen.

विविध बैंक प्रकरण संख्या 05/2020(GCMS : 2020/00022) ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) कार्यालय 25ए रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता शाखा प्रबन्धक श्री संजीव सेतिया बनाम 1. सुनील कुमार पुत्र मान सिंह निवासी 49 एल एल डब्ल्यू, नरसिंहपुरा, मांझूवास, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **2. मंजु देवी पत्नी सुनील कुमार** 49 एल एल डब्ल्यू, नरसिंहपुरा, मांझुवास, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर **3. कुलदीप कुमार पुत्र ईश्वर राम** निवासी 32 पी.एस.ए. सांवतसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

11.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मेहन्दीरता, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंसं बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थी सुनील कुमारी, मंजु देवी एवं कुलदीप कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी सुनील कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं. 68/29 (क्षेत्रफल 364.44 Sq. Yds) अहाता संख्या जे–35 पीपी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 17.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लिमिटेड के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सुनील कुमार, मंजू देवी एवं कुलदीप कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुनील कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं. 68/29 (क्षेत्रफल 364.44 Sq. Yds) अहाता संख्या जे–35 पीपी नरसिंहपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पूर्व में पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
ज़िला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:19:09 IST
Reason: SelfAttested